

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 08/06/2018

कमांक एफ 8-1-2015/नियम/चार : राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के क्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक के वेतनमान 5200-20200+2400 का उन्नयन कर वेतनमान 5200-20200+2800 स्वीकृत करता है।

2. उपर्युक्त वेतन उन्नयन दिनांक 01-01-2016 से लागू कर नगद लाभ दिनांक 01-07-2018 (अगस्त 2018 में देय वेतन) से दिया जावे। दिनांक 01-01-2016 को उपर्युक्त अनुसार देय ग्रेड वेतन के आधार पर म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में वेतन निर्धारण किया जावेगा। दिनांक 01-01-2016 से 30-06-2018 तक की अवधि के लिये काल्पनिक वेतन वृद्धियाँ दी जायेंगी।

3. वेतन उन्नयन अनुसार सुसंगत भरती नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

8/6/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 08/06/2018

पृष्ठा.कमांक एफ 8-1/2015/नियम/चार

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल
 2. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
 3. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट)1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल
 4. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
 5. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
 6. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
 7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय भोपाल
 8. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अप्रेषित।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग